एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर, रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर (राजस्थान)

1. संस्था का नाम	: एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर, रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर (राजस्थान)
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र	संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर, रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर। इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान में रहेगा।
3. संस्था के उद्धेश्य	

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

संस्थान के उद्धेश्य–(वर्तमान)

1 यह संस्थान स्वास्थ्य सेवा व स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य करेगी व आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की संस्थाऐं खोल कर उनके स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार एवं शिक्षा प्रदान करेगा।

2 यह संस्था नई चिकित्सा पद्धति एवं नवीन तकनीक क्षेत्र में जो कि विश्व के अग्रणी देश इन पद्धतिया से ईलाज करवाकर लाभान्वित हो रहे है इसका लाभ इस वागड़ क्षेत्र के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र में इनका प्रसार–प्रचार करना व इनमें शोध कार्य करना एवं जन सामान्यों को लाभान्वित करना।

3 नई चिकित्सा पद्धति पर आधारित शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं व्यवस्था तथा संचालन करना।

4 नसिंग, पेरामेडिकल,फार्मेसी एवं बाल शिक्षा आदि शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं व्यवस्था तथा संचालन करना।

5 यह संस्था नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को समावेश करते हुए चैरेटेबल(धर्माथ)चिकित्सालय पीड़ित मानव की सेवार्थ संचालन कर आम जनता को चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करना।

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

संस्थान के उद्धेश्य – (नवीन)

1. शिक्षा तकनीकि शिक्षा एवं शैक्षणिक उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना एवं शैक्षणिक नवाचार एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना।
2. राज्य के केन्द्र सरकार उच्च शिक्षा नीति के अंर्तगत शिक्षक प्रशिक्षण महिला शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस. सी. नर्सिंग केन्द्र व डेन्टल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना करना व संचालन करना, कम्प्यूटर शिक्षा, अभियांत्रिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण की स्थापना करना एवं विधि कॉलेज की स्थापना करना एवं संचालन करना।
3. संस्थान पशुधन के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर केन्द्र को संचालित करना।
4. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना कर विश्वविद्यालय का संचालन करना, विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना तथा विभिन्न विषयों हेतु शोध केन्द्र स्थापित करना।

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूँगरपुर (राज.)
कोर्ट फी COURT FEE Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर,
रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर (राजस्थान)

6. समय–समय पर नि:शुल्क चिकित्सा शिविर प्रदर्शन शिविर आयोजन करना।
7. प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल,बाढ पीड़ितों की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
8. यह संस्था दूर दराज ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में संकामक बिमारियों(एड्स,टी.बी.ए कुष्ठ रोग,एस.टी.डी आदि) के बारे में जानकारी देना व उपचार करना।
9. यह संस्था महिला एवं बाल विकास व पोषण की जानकारी देना और कुपोषण के कुप्रभाव के बारे में जानकारी देना।
10. यह संस्था पर्यावरण व दूषित जल के बारे में जानकारी देना निवारण करने का कार्या भी करेगी।
11. यह संस्था सामाजिक कार्य एवं समाज की समस्या का निवारण करना एवं समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने व समाज के उत्थान के लिये भी कार्य करेगी।
12. उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में सहायक सभी कार्य करना एवं इसके लिये सतत् प्रयत्नशील रहना। यह संस्था पूर्ण रूप से अराजनैतिक होगी एवं इन उद्धेश्यों की पूर्ति में किसी व्यक्ति विशेष का कोई लाभ निहित नहीं है।

5. संस्थान द्वारा डिफेन्स एकेडमी (रक्षा के क्षेत्र में) का स्थापना व संचालन करना।
6. संस्थान द्वारा सभी प्रकार के कोचिंग यथा IAS,IPS,RAS, UPS आदि का कोचिंग प्रदान करना।
7. संस्थान द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर संचालन करना।
8. संस्थान द्वारा ITI एवं कुटिर उद्योगों से सम्बन्धित कोर्स की संचालन हेतु कॉलेज की स्थापना कर संचालन करना।
9. संस्थान द्वारा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित विभिन्न प्रकार के प्रयोजनाओं का संचालन करना जिसमें पशुओं के संरक्षण व संवर्धन करना।
10. संस्थान द्वारा मूख बधिर, द्वियांगजनों हेतु विद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना।
11. संस्थान द्वारा वृद्धा आश्रम महिला एवं बाल संरक्षण हेतु आश्रमों की स्थापना एवं संचालन करना।
12. संस्थान द्वारा इन्जीनियरिंग कोर्स में बी.टेक और एम.टेक कार्यक्रम तथा ए. आई तथा मशीन लर्निंग, डाटा साइन्स एवं रोबोटिक्स की स्थापना व संचालन करना।
13. होटल मेनेजमेन्ट में बी.एस.सी. होटल प्रबन्धन (तीन वर्षीय) तथा पीएच–डी कोर्स की स्थापना व संचालन करना।

देवस्थान विभाग, ऋषभदेव — प्रमाणित प्रतिलिपि — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

रजिस्ट्रार संस्थाएं, डूंगरपुर (राज.)

कोर्ट फी / COURT FEE — भारत INDIA — एक रुपया ONE RUPEE — FOR COPYING FEES ONLY

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर,
रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर (राजस्थान)

14. कृषि सम्बन्धित कोर्स यथा बीएसएसी, एम.सी. व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
15. फायर एवं सेफटी मेनेजमेन्ट कोर्स यथा बीएसएसी, एम.सी. व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
16. पुस्तकालय अध्यक्ष कोर्स यथा बीलीब, एमलीब, व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
17. योगा सम्बन्धित कोर्स यथा बीएसएसी/बीए योगा, एम.सी/एम.ए. योगा. व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
18. पत्रकारिता एवं जनसंचार सम्बन्धित कोर्स यथा पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
19. फेशन प्राद्योगिकी से सम्बन्धित कोर्स यथा पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
20. फार्मेशी से सम्बन्धित कोर्स यथा फार्मा डी, फार्मा बी, फार्मा एम. की स्थापना व संचालन करना।
21. डिसाइन से सम्बन्धित कोर्स यथा स्नातक, स्नात्कोत्तर व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
22. सामाजिक विज्ञान व मानविकी से सम्बन्धित कोर्स यथा स्नातक, स्नात्कोतर व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
23. नर्सिंग से सम्बन्धित कोर्स यथा जी.एन.एम, बीएसएसी नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर,
रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर (राजस्थान)

24. पेरामेडिकल से सम्बन्धित कोर्स यथा डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोतर, व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
25. मेडिकल से सम्बन्धित कोर्स यथा डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोतर, व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
26. आयुष से सम्बन्धित कोर्स यथा डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोतर, व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना। (आयुर्वेद, योगा, युनानी, सिद्धा, तथा होमियोपेथी)
27. नेचुरोपेती तथा योगिक विज्ञान से सम्बन्धित कोर्स यथा डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोतर, व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
28. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय से सम्बन्धित कोर्स यथा डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोतर, व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।
29. पशु विज्ञान के क्षेत्र में राज्य व केन्द्र सरकार के द्वारा अनुदानित विभिन्न प्रकार के प्रयोजनाओं का संचालन करना जिसमें पशुओं के संरक्षण व संवर्धन, गौशाला संचालन होगा।

डूँगरपुर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

कोर्ट फी
COURT FEE
भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

एम.बी. **हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर,**
रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरपुर (राजस्थान)

30. डेयरी व अन्य दूध से सम्बन्धित कार्यों व डेयरी महाविद्यालय से सम्बन्धित कोर्स यथा डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोतर व पी–एच.डी. की स्थापना व संचालन करना।

31. संस्था किसी भी वित्तीय व गैर वित्तीय संस्थान (बैंक) से लोन लेने का अधिकार रखती है और इस हेतु अपनी संस्थान की भूमि व भवन बंधक (मोडगेज) रख सकती है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

1 रु. कोर्ट फी Re.1
COURT FEE
भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर

विधान पत्र

1. **संस्था का नाम** : **एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर, रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर**

2. **रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र** : संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर, रेलवे स्टेशन के पास ददोडिया, डूँगरुपर। इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान में रहेगा।

3. **संस्था के** उद्धेश्य

1 यह संस्था स्वास्थ्य सेवा व स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य करेगी व आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की संस्थाए खोल कर उनके स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार एवं शिक्षा प्रदान करेगा।

2 यह संस्था नई चिकित्सा पद्धति एवं नवीन तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में जो कि विश्व के अग्रणी देश इन पद्धत्तियों से इलाज करवाकर लाभान्वित हो रहे है इसका लाभा इस वागड़ क्षेत्र में इनका प्रसार–प्रचार करना व इनमें शोध कार्य करना एवंज न सामान्यों को लाभान्वित करना

3 नई चिकित्सा पद्धति पर आधारित शिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना एवं व्यवस्था तथा संचालन करना।

4 नर्सिंग, पेरामेडिकल, फार्मेसी एवं बाल शिक्षा आदि शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं व्यवस्था तथा संचालन कराना।

5 यह संस्था नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों का समावेश करते हुए चेरेटेबल(धर्माध) चिकित्सालय पीडित मानव की सेवार्थ संचालन कर आम जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना।

6 समय–समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर प्रदर्शन शिविर आयोजन करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

FOR COPYING FEES ONLY

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूंगरपुर

एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर

विधान पत्र

7 प्रकृतिक प्रकोप जैसे अकाल,बाढ पीडितों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

8 यह संस्था दूर दराज ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में संक्रामक बिमारियों (एड्स, टी.बी.ए कुष्ठ रोग. एस. टी.डी आदि) के बारे में जानकारी देना व उपचार करना।

9 यह संस्था महिला एवं बाल विकास व पोषण की जानकारी देना और कुपोषण के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देना।

10 यह संस्था पर्यावरण व दूषित जल के बारे में जानकारी देना निवारण करने का कार्य भी करेगी।

11 यह संस्था सामाजिक कार्य एवं समाज की समस्या का निवारण करना एवं समाज के फैले अंधविश्वास को दूर करने व समाज के उत्थान के लिये भी कार्य करेगी।

12 उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में सहायक सभी कार्य करना एवं इसके लिए सतत् प्रयत्नशील रहना। यह संस्था पूर्ण रूप से अराजनैतिक होगी एवं इन उद्धेश्यों की पूर्ति में किसी व्यक्ति विशेष का काई लाभ निहित नहीं हे।

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

4. **सदस्यता व सदस्यों** द्वारा दिया जाने वाला चंदा/शुल्क :

कोई भी भारतीय नागरिक जो संस्था के उद्धेश्यों में आस्था एवं रूचि रखता हो संस्थापक निदेशक के नाम देय प्रार्थना पत्र में संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन कर देगा। संस्था प्रवेश शुल्क 5/– रूपये मात्र होगा। इसके अतिरिक्त सदस्यता हेतु निम्नांकित योग्यत्राएं आवश्यक होगीः–

1. सदस्यता की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. सदस्यता का चरित्र उत्तम हो एवं किसी न्यायालय द्वारा सजा याफता न हो।
3. संस्था के कार्यकलापों मं अपना समय देने को तत्पर हो।
4. कार्यक्षेत्र का निवासी हो।

सदस्यता शुल्क : सदस्यता शुल्क 5/– रूपये होगा। इसके अतिरिक्त सदस्यता वर्गीकरण निम्नप्रकार से होगा।:–

1. संस्थापक सदस्य उद्धेश्य संस्था ज्ञापन	:	वे सदस्य जिन्होने संस्था की स्थापना के पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये है।
2. वार्षिक सदस्य 5/– रूपये प्रदान	:	संस्था के वे सदस्य जो संस्था को प्रतिवर्ष करेगे संस्था के वार्षिक सदस्य कहलावेगे।
3. साधारण सदस्य संस्था के साधारण	:	संस्था को 21/– प्रदान करने वाले सदस्य सदस्य होगे।
4. सम्मानीय सरंक्षक संस्था के हितार्थ एवं मनोनीत किये जा होगी।	:	ऐसे सदस्य जिनको संस्थापक निदेशक सरंक्षक हेतु कार्यकारी मण्डल उचित समझ सकेगे जिसकी अधिकतम प्रथम अवधि 5 वर्ष
5. संस्थापक शुल्क के रूप में	:	संस्थापक सदस्य 521/– रूपये सदस्यता आजीविन देता । (वार्षिक)

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

1रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY Re.1

5. सदस्यता समाप्ति

निम्नांकित कारणों से संस्था की सदस्यता समाप्त कर दी जावेगी।

1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2. कार्यक्षेत्र छोड़कर चले जाने पर
3. त्यागपत्र दिये जाने पर
4. संस्था की साधारण सभा की लगातार 3 से अधिक बार बैठकों से अनुपस्थित रहने पर।
5. संस्था के उद्धेश्यों के विपरित कार्य करने एवं कार्यकारिणी मण्डल द्वारा इस आशंय के लिए दोषी पाये जाने पर।

6. संस्था गठन :– संस्था का गठन निम्न कार्यकारी मण्डल के पूर्ण होगा:–

1. साधारण सभा
2. कार्यकारिणी समिति
3. संस्थापक निदेशक

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

7. साधारण सभा :

संस्था के नियम 4 में वर्णित सभी सदस्य मिलकर एक सदन का निर्माण करेंगे जिसको साधारण सभा कहा जावेगा। साधारण सभा में इन सदस्यों का मतदान करने, प्रस्ताव रखने एवं विचार विमर्श करने का अधिकार होगा। कार्य मण्डल हेतु प्रत्याक्षी एवं मतदाता इसी सदन से बन सकेगें।

8. साधारण सभा की मिटींग :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक होगा।
2. सदस्यों की बैठक की सूचना जिसमें विचार विषय (ऐजेण्डा) स्थान, समय आदि का पूर्ण विवरण होगा। संस्था सचिव द्वारा संस्थापके निदेशक की सहमती से दिया यावेगा।
3. बैठक में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कोरम पर्याप्त आवश्यक होगा।
4. निर्धारित कोरम के अभाव में बैठक अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित कर दी जावेगी जो पुनः दूसरे दिन को निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित होगी।
5. दोबारा आयोजित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नही होगा एवं विषयों पर निर्णय लिये जा सकेंगे।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

9. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. साधारण सभा संस्था के उद्धेश्यों के अनुसार रीति–नीति निर्धारित करेगी।
2. संस्था की वित्तीय नीति तैयार कर उसी अनुरूप कार्यो को संपादित करने हेतु वार्षिक बजट तैयार पारित करेगी।
3. संस्था के उद्धेश्यों में संशोधन, परिवर्तन आवश्यक होने पर संस्था के विधान में तत्संबंधी संशोधन करेगी।
4. साधारण सभा संस्था के कार्यकारिणी मण्डल का चुनाव करेगी।

10. कार्यकारिणी समिति (मण्डल) :

संस्था के कार्यो को संपादित करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसके पदाधिकारीगण निम्नांकित होगे।

1. संस्थापक निदेशक
2. अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष
4. सचिव
5. वित्तसचिव
6. कोषाध्यक्ष
7. प्रचार–प्रसार सचिव
8. परामर्शदाता
9. कार्यकारिणी सदस्य–3

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

11. निर्वाचन :

कार्यकारिणी में संस्थापक निदेशक के पद के अतिरिक्त शेष पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा के द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा।

निर्वाचन निःविरोध अथवा आवश्यक होने पर गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा किया जा सकेगा।

आवश्यक होने पर मतदान अधिकारी की नियुक्ति संस्थापके निदेशक द्वारा की जावेगी।

12. मीटिंग :

1. कार्यकारिणी की मीटिंग वर्ष में चार बार आयोजित किया जाना आवश्यक होगा।
2. आवश्यक होने पर बैठक कभी भी आहूत की जा सकेगी।
3. सदस्यों की सूचना प्रायः 7 दिवस पूर्व सचिव द्वारा दी जावेगी एवं अत्यावश्यक बैठक की सूचना इससे कम समय पर दी जा सकेगी।

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

4. बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगी अर्थात कार्यकारिणी की बैठक के लिए 6 सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक होगी।
5. कोरम के अभाव में बैठक एक घंटे के लिए स्थगित रहेगी जो पुनः आयोजित होगी जिसमें कोरम की आवश्यकता नही होगी।
6. दोबारा आयोजित बैठक में दो पदाधिकारियां की आवश्यकता होगी एवं ऐसी बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि आगामी बैठक में कराई जाना आवश्यक होगा।

13. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्यः

संस्था की कार्यकारिणी समिति के निम्नांकित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे—

1. कार्यकारिणी समिति संस्था के सदस्य बनाने एवं निष्कासन संबंधी निर्णय भी करेगी।
2. समिति संस्था के नियम/उपनियमों का निर्धारण करेगी।
3. समिति संस्था के लिये आवश्यक वैतनिक कर्मचारियों, कार्यकताओं को नियुक्त करेगी।
4. समिति संस्था की गतिविधियों को क्रियान्वयन करने, इसको बढावा देन एवं इसके लिये आवश्यक निर्णय लेगी।
5. कार्यकारिणी समिति सस्था के उद्धेश्यों को क्रियान्वयन को पूर्ण करने विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक कार्यो को निष्पादित करेगी।
6. कार्यकारिणी समिति संस्था के लिये भूमि, भवन आदि प्राप्त करने विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक कार्यो का निष्पादित करेगी।
7. कार्यकारिणी समिति संस्था के कोष को बढ़ाने , चन्दा, शुल्क आदि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्य को वहन करेगी।

14. संस्थापक निदेशक :

एम.बी. हेल्थ एण्ड हाइजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर की स्थापना श्री पूनमचन्द कलाल के कर कमलों द्वारा अपनी प्रेरणा से की गई है। अतः इस संस्था के संस्थापक निदेशक होगे। इस संस्था के यह चीफ एक्जीक्युटिव होगें। प्रशासन संबंधी सभी कार्य यह अपने निर्णयों से करेंगे। संस्था के प्रशासन को देखने के लिये यह अपनी सहायता हेतु सचिव को आवश्यक सुझाव सहयोग आदि ले सकेगे। संस्था का वार्षिक अधिवेशन आयोजित करने , संस्था के रिकार्ड को रखने, निरीक्षण आदि हेतु पेश करने, संस्था की गतिविधियों को पूर्ण करने आदि कार्यो का निर्वाह करेंगे। अपनी सेवा का मानदेय आदि प्राप्त करने के हकदार होगें। संस्थापक निदेशक कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णयो को लागू करेंगे एवं इसके लिए आवश्यक सहयोग कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से प्राप्त करेंगे। यह सम्मानीय सदस्यों की नामजद करने अनुशासनहीनता करने वालो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। संस्था के सभी आवश्यक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर सकेगे व संस्था के

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

1रु. कोर्ट फी COURT FEE Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, ऋषभदेव
प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

किसी भी कार्यकारिणी सदस्य व साधारण सदस्य को नियुक्ती व निष्काशित कर सकेगें व किसी भी पद पर साधारण सदस्य को नियुक्ती देने का अधिकार होगा।

15. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

संस्था के अन्य पदाधिकारियों के निम्नाकित अधिकार एवं कर्तव्य होगे:

अध्यक्ष : संस्था का अध्यक्ष पद सम्मानित पद होगा। यह साधारण सभी एवं कार्यकारीणी की बैठको की अध्यक्षता करेंगे। कार्यकारिणी एवं साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों का अनुमोदन करेंगे। संस्था के किसी विवादस्प्रद विषय्र पर अपना निर्णायक मत देंगे। आवश्यक होन पर संस्था के दस्तावेंज आदि पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्धारण करेंगे साथ ही अध्यक्ष के साथ सहयोग करेगे।

सचिव : सचिव पर संस्था का कार्यकारी पद होगा। बैठकें आयोजित करने कार्यवाही को रिकार्ड बद्ध करने एजेण्डा आदि तैयार करने एवं वत्संबंधी कार्यवाही करेगा। संस्थापक निदेशक के साथ संस्था की गतिविधियों पर आवश्यक विचार विमर्श करेंगे। संस्था का लेन–देन संस्थापक निदेशक कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे।

प्रचार–प्रसार सचिव : प्रचार–प्रसार सचिव संस्था के उद्धेश्यों का प्रचार करेंगे एवं गतिविधियों को बढ़ाने के लिये आवश्यक सहयोग करेगे।

परामर्शदाता: परामर्शदाता पर संस्था के वैधानिक कार्यो को करेंगे एवं इससे सम्बन्धित आवश्यकत परामर्श संस्थापक निदेशक को देंगे।

सदस्य : सभी कार्यकारिणी सदस्य बैठकों में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यो में सहयोग करेंगे।

16. संस्था का कोष : संस्था का एक कोष होगा जो प्राप्त राशियों, स्थाई चल संपत्तियों में पूर्ण होगा संस्था का एक बैंक खाता होगा जिसमें प्राप्त राशियों का जमा किया जावेगा एवं आवश्यक होने पर संस्थापक निदेशक (सचिव) कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरों से लेन देन किया जा सकेगा।

17. कोषासम्बन्धित अधिकारी : संस्था के कोष में से निम्नांकितम पदाधिकारियों की राशि स्वीकृत करने का अधिकारी होगा:–

1.	संस्थापक निदेशक	15000/–
2.	अध्यक्ष (सचिव) कोषाध्यक्ष को	5000/–

18. संस्था का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं डूँगरपुर को संस्था के निरीक्षण करने का अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

19. संशोधन परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यक होने पर संशोधन, परिवर्तन आदि किया जा सकेगा जो साधारण सभा के 2/3 बहुमत से ही किया जा सकेगा। यह सभी कार्यवाही रा.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धार 12 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

20. अवसायन समापन : संस्था यदि अपने उद्धेश्यों की कियान्वयन नही कर पाती है तो समापत संबंधी कार्यवाही राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट 1958 की धारा 13 व 147 के अनुसार की जा सकेगी।

21. सत्यापन : हम निम्न हस्ताक्षकर्ता प्रमाणित करते है कि उक्त एम.बी.हेल्थ एण्ड हाइजीन शिक्षण संस्थान डूँगरपुर के विधान की सही प्रतिलिपि है।

संस्थापक निदेशक | कोषाध्यक्ष | सचिव

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं
डूंगरपुर (राज.)

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं
डूंगरपुर

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव
प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

कोर्ट फी COURT FEE
1 रु. Re.1
भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

M.B. HEALTH & HYGIENE NURSING SHIKSHAN SANSTHAN

Reg.62/DPR/1999-2000

M.No. 9414105438

F.No. :

Date : / /202

जुब्ध 37 13-11-2025

एम. बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान

संस्थान की नवीन कार्यकारणी सूची

क्र.सं.	नाम पदाधिकारी	पता	व्यवसाय	पद
1	प्रेमकुमार पाटीदार	मु.पो.फलोज,डुंगरपुर	व्यवसायी	अध्यक्ष
2	आशीष आनन्द	सुभाष नगर, डूंगरपुर	नर्सिंग ट्यूटर	संस्थापक निदेशक
3	कपिल आनन्द	सुभाष नगर, डूंगरपुर	नर्सिंग ट्यूटर	सचिव
4	यशवन्त आनन्द	सुभाष नगर, डूंगरपुर	लेक्चरार	वित्त सचिव
5	रमण लाल पटेल	पुनरवास कॉलोनी, सागवाडा	व्यवसायी	उपाध्यक्ष
6	नानूलाल कलाल	मु. पो. देवल	व्यवसायी	कोषाध्यक्ष
7	भंवरलाल पटेल	उदयापुरा, डूंगरपुर	सेवा निवृत	प्रचार प्रसार सचिव
8	मणिलाल पटेल	गोवाडी सागवाडा	व्यवसायी	परामर्शदाता
9	माधुरी पटेल	मु.पो. देवल	गृहणी	सदस्य
10	वर्षा कलाल	प्रतापनगर डूंगरपुर	गृहणी	सदस्य
11	विनोद कुमार कलाल	प्रतापनगर डूंगरपुर	व्यवसायी	सदस्य

आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

रजिस्ट्रार संस्थाएं डूंगरपुर (राज.)

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE Re.1 FOR COPYING FEES ONLY

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूंगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूंगरपुर

NEAR RAILWAY STATION, DADODIYA, DUNGARPUR (RAJ.) 314001
Email- mb.ashishanand@rediffmail.com

Letter Pad NSSLettter Pad NSSD:\E Ka Data\Server\NSS\Lettter Pad NSS.doc

एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन नर्सिंग शिक्षण संस्थान, डूँगरपुर

संस्थान के विधान का बिन्दू क्रमांक 16:– (संस्था का कोष)

वर्तमान

<u>16. संस्था का कोष</u> : संस्था का एक कोष होगा जो प्राप्त राशियों, स्थाई चल संपत्तियों में पूर्ण होगा। संस्था का एक बैंक खाता होगा, जिसमें प्राप्त राशियों का जमा किया जावेगा एवं आवश्यक होने पर संस्थापक निदेशक (सचिव) कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरों से लेन देन किया जा सकेगा।

नवीन

<u>16. संस्था का कोष</u> : संस्था का एक कोष होगा जो प्राप्त राशियों, स्थाई चल संपत्तियों में पूर्ण होगा। संस्था का एक बैंक खाता होगा, जिसमें प्राप्त राशियों का जमा किया जावेगा एवं आवश्यक होने पर संस्थापक निदेशक (सचिव) कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरों से लेन देन किया जा सकेगा। साथ ही संस्थान अपने विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से वित्तीय ऋण, विततीय सहायता और दान ले सकता है जिसे संस्थान के कोष में जमा लेकर संस्थान के विकास एवं वृद्धि में उपयोग लिया जा सकेगा।

प्रमाणित प्रतिलिप

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

रजिस्ट्रार संस्थाएं
डूंगरपुर (राज.)

निदेशक
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

सचिव
एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजीन
नर्सिंग शिक्षण संस्थान
डूँगरपुर

कोर्ट फी COURT FEE
भारत INDIA Re.1
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY